म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क0 / मंडी / प्रां0 / विविध 961 भोपाल, दिनांक 1 / 11 / 2014

प्रति,

संयुक्त संचालक / उपसंचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय.....................(समस्त)

विषयः– कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में निर्मित संरचनाओं के आवंटन / ए.टी.एम. एवं बैंक की शाखा खोलने के संबंध में तथा राजस्व अभिलेखों में मंडी समिति का नाम इंद्राज किये जाने के संबंध में।

—— 000 ——

विषयन्तर्गत लेख है कि कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में निर्मित संरचनाओं के आवंटन की कार्यवाही भूमि संरचना आवंटन नियम 2009 के तहत् विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है :–

1– मंडी समिति के प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में ए.टी.एम. एवं बैंक की शाखा खोलने के संबंध में निर्देश दिये गये है। इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी।

2– मंडी समिति के प्रांगण / उपमंडी प्रांगण की भूमि को राजस्व अभिलेखों में मंडी समिति का नाम इंद्राज किये जाने के संबंध में निर्देश समय–समय पर जारी किये गये इस संबंध में आपके संभाग की कितनी मंडी समितियों द्वारा कार्यवाही की गई है उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी।

3– मंडी समिति के प्रांगण / उपमंडी प्रांगण मे निर्मित भूखंड / गोदाम म.प्र.वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टक कार्पोरेशन / म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ को किराये / लीज पर मंडी समिति द्वारा दिये गये है इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 896 दिनांक 10.10.2014 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी चाही गई थी।

4– आपके संभाग के अंतर्गत मंडी प्रांगण में कृषकों की सुविधा के लिये कृषक भोजनालय योजना कहां–कहां लागू नही है उसके संबंध में जानकारी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी उपसंचालक की मासिक बैठक दिनांक 12.11.2014 को अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होवे।

01/11/14

अपर संचालक(प्रांगण)
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

preeti/latter